न्यायालय राजस्व मण्डल अधिकारी महोदय, ग्वालियर कैम्प–उज्जैन म0प्र0

प्रकरण क्रमांक– /2019 निगरानी निगरानी-0845/2019/शाजापुर/भू०रा०

जितेन्द्र गोठी पिता हिम्मतसिंह गोठी, आयु–43 वर्ष, धंधा–कृषि, निवासीगण–मूलीखेड़ा हॉल मुकाम प्राईम कार शोरूम के पीछे ए0बी0 रोड़ लालघाटी, शाजापुर —आवेदक/रेस्पोंडेंट

विरूद्ध

1–बद्रीलाल पिता जयरामसिंह, आयु–65 वर्ष, धंधा–कृषि,

2–दयाराम पिता जयरामसिंह, आयु– वर्ष, धंधा–कृषि

3–गोपालसिंह पिता जयरामसिंह, आयु– वर्ष, धंधा–कृषि

निवासीगण–ग्राम मूलीखेड़ा परगना व जिला शाजापुर —अनावेदक/अपीलांट

श्री आभिभाषक श्री गौरव गोस्वामी
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 15.07.2019
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

703
15/7/19

मान0 न्यायालय राजस्व अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक–401/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2019 से असंतुष्ट होकर निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर परस्तुत है :–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय तहसीलदार, तहसील शाजापुर के प्रकरण क्रमांक–14/अ–6–अ/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2014 के अनुसार प्रत्यर्थी/आवेदक की ओर से एक आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नाधीन भूमि अपीलार्थीगण/अनावेदक के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है और प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थीगण से भूमि दस वर्ष पूर्व अनुबंध के आधार पर क्रय की है और कब्जा प्राप्त किया गया है । अपीलार्थीगण के रजिस्ट्री कराने से इंकार करने के कारण प्रत्यर्थी का नाम भूमि पर दर्ज नहीं हो पाया है, अतः प्रत्यर्थी का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा दर्ज किया जावे । विचारण न्यायालय ने अपने प्रश्नाधीन आदेश से प्रत्यर्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर प्रत्यर्थी का कब्जा दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये है । विचारण न्यायालय के इस प्रश्नाधीन आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी पक्ष द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने प्रश्नाधीन आदेश से अपीलार्थी पक्ष का अपील आवेदन निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया है । अधीनस्थ न्यायालय के इस प्रश्नाधीन आदेश के विरूद्ध अनावेदक एक एक अपील अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें यह आधार लिया गया कि :–

175

203

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी/0845/2019/शाजापुर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 03/07/2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में नवीनतम संशोधन दिनांक 25/09/2018 से प्रभावशील है, संशोधन पश्चात मंडल को निगरानी में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। अतः यह निगरानी अधिकार विहीन होने से अग्राहय की जाती है। आवेदक समक्ष न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	